क्रम-संख्या–88(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 3 जून, 2025
ज्येष्ठ 13, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

संख्या यूपीईआरसी/सचिव/आर एस पी वी विनियमावली–011

लखनऊ, 3 जून, 2025

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धाराएं 61, 66, 86(1) (इ) और 181 द्वारा प्रदत्त और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने (रूफटॉप सोलर पी0 वी0 ग्रिड पारस्परिक प्रणालियाँ सकल/शुद्ध मापन) विनियमावली, 2019 बनाई है जिसका प्रकाशन अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी/सेक्रेटरी/आरएसपीवी विनियमावली/434 (ए), दिनांक 4 जनवरी, 2019 के द्वारा किया गया।

और, चूंकि, यूपीईआरसी (रूफटॉप सोलर पी0वी0 ग्रिड पारस्परिक प्रणालियाँ सकल/शुद्ध मापन) विनियमावली, 2019 (प्रथम संशोधन/अनुशेष) अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी/सेक्रेटरी/आरएसपीवी विनियमावली/118 दिनाँक 1 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

और, चूंकि, यूपीईआरसी (रूफटॉप सोलर पी0वी0 ग्रिड पारस्परिक प्रणालियाँ सकल/शुद्ध मापन) विनियमावली, 2019 (द्वितीय संशोधन) अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी/सेक्रेटरी/आरएसपीवी विनियमावली/002, दिनाँक 17 नवम्बर, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने याचिका संख्या 2149/2024 दायर की है, जिसमें कहा गया है कि यूपीईआरसी (रूफटॉप सोलर पी0वी0 ग्रिड पारस्परिक प्रणालियाँ सकल/शुद्ध मापन) विनियमावली, 2019 के विनियम 10.3(ii) में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान की जाने वाली सौर इंजेक्शन क्षतिपूर्ति की दर निर्धारित करने के लिए एक पद्धति प्रदान की गई है। यूपीपीसीएल ने आगे प्रस्तुत किया कि वित्तीय वर्ष 2022–2023 और 2023–24 में टैरिफ खोज के लिए कोई प्रतिस्पर्धी बोली नहीं लगी थी, जबकि बाजार विकास और प्रौद्योगिकी उन्नति के कारण एसईसीआई और एसजेवीएन द्वारा हाल ही में आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली के दौरान सौर टैरिफ में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इस प्रकार आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह विनियम 16: शिथिल करने की शक्ति और विनियम 17: मूलविनियम को संशोधित करने की शक्ति को लागू करे और 5 मेगावाट और उससे अधिक की बड़े पैमाने की सौर परियोजनाओं के भारित औसत टैरिफ पर विचार करने की भी अनुमति दे, ताकि पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र और राज्य सरकार की सौर ऊर्जा निविदाओं में खोजे गए नवीनतम टैरिफ को प्रतिबिंबित किया जा सके, जैसा कि आयोग द्वारा अपनाया/अनुमोदित किया गया हो, साथ ही 25% का

प्रोत्साहन या जैसा आयोग द्वारा अनुमोदित किया जा सकता हो। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई प्रार्थना के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 66, 86(1)(इ) और 181 और पूर्वोक्त विनियम के खंड 17 के तहत प्रदत्त शक्ति यानी संशोधन करने की शक्ति और अन्य सभी सक्षम शक्तियों के तहत निम्नलिखित संशोधन करता है:–

1– संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–

(क) यह विनियमावली यूपीईआरसी (रूफटॉप सोलर पी0 वी0 ग्रिड पारस्परिक प्रणालियां सकल/शुद्ध मापन) विनियमावली, 2019 (तृतीय संशोधन) कही जाएगी जिसे आगे आर0एस0पी0वी0 विनियमावली, 2019, (तृतीय संशोधन) कहा जायगा।

(ख) यह विनियमावली राज्य के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2– संशोधन–

विनियम संख्या	विद्यमान विनियम	संशोधित विनियम
विनियम संख्या 10.3(ii)	वितरण अनुज्ञप्तिधारी, पात्र उपभोक्ता या तीसरे पक्ष के मालिक को, जैसा भी मामला हो, बिलिंग अवधि के दौरान छत पर स्थापित सौर पी0वी0 प्रणाली द्वारा डाली गई बिजली की मात्रा के लिए 'सौर इंजेक्शन क्षतिपूर्ति' के रूप में प्रतिपूर्ति करेगा : परन्तु यह है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पात्र उपभोक्ता या तृतीय पक्ष के स्वामी को भुगतान की जाने वाली सौर इंजेक्शन क्षतिपूर्ति की दर, जैसा भी मामला हो, पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से खोजी गई और आयोग द्वारा अपनाई गई 5 मेगावाट और अधिक की बड़ी सौर परियोजनाओं का भारित औसत टैरिफ होगा, साथ ही 25% का प्रोत्साहन भी होगा। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2018–19 के लिए, वित्त वर्ष 2017–18 में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से खोजी गई और आयोग द्वारा अपनाई गई 5 मेगावाट और अधिक की बड़ी सौर परियोजनाओं का भारित औसत टैरिफ और 25% का प्रोत्साहन लागू होगा। यदि पिछले वित्तीय वर्ष में कोई बोली नहीं लगाई गई है, तो सकल मीटरिंग के लिए अंतिम लागू टैरिफ जारी रहेगा।	वितरण अनुज्ञप्तिधारी, पात्र उपभोक्ता या तीसरे पक्ष के मालिक को, जैसा भी मामला हो, बिलिंग अवधि के दौरान छत पर स्थापित सौर पी0वी0 प्रणाली द्वारा डाली गई बिजली की मात्रा के लिए 'सौर इंजेक्शन क्षतिपूर्ति' के रूप में प्रति पूर्ति करेगा : परन्तु यह है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पात्र उपभोक्ता या तृतीय पक्ष के स्वामी को भुगतान की जाने वाली सौर इंजेक्शन क्षतिपूर्ति की दर, जैसा भी मामला हो, 5 मेगावाट या उससे अधिक की सभी बड़े पैमाने की सौर परियोजनाओं का भारित औसत टैरिफ होगा, जिसके लिए टैरिफ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या अनुज्ञप्तिधारी के लिए किसी मध्यस्थ एजेंसी द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से खोजा गया है, और जिसे पिछले वित्तीय वर्ष में आयोग द्वारा अनुमोदित/अपनाया गया है, जैसा भी लागू हो, साथ ही 25% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यदि पिछले वित्तीय वर्ष में कोई बोली नहीं लगाई गई है, तो सकल मीटरिंग के लिए अंतिम लागू टैरिफ जारी रहेगा।

आयोग के आदेश से,

सुमीत कुमार अग्रवाल,
सचिव।

No. UPERC/Secretary/RSPV Regulations-011

Dated Lucknow, June 3, 2025

IN exercise of the power conferred on it by Section 61, 66, 86(1)(e) and 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling in its behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission has made (Rooftop Solar PV Grid Interactive System Gross/ Net Metering) Regulation, 2019, which were published *vide* notification no. UPERC/Secretary/RSPV Regulations/434(A) dated January 4, 2019.

AND, WHEREAS, UPERC (Rooftop Solar PV Grid Interactive System Gross/ Net Metering) Regulation, 2019 (First Amendment / Addendum) were published *vide* U.P.E.R.C/Secretary/ RSPV Regulations/118, dated June 1, 2022.

AND, WHEREAS, UPERC (Rooftop Solar PV Grid Interactive System Gross/ Net Metering) Regulation, 2019 (Second Amendment) were published *vide* UPERC/Secretary/RSPV Regulations/002 dated November 17, 2023.

AND, WHEREAS, Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. has filed a Petition No. 2149 of 2024 submitting that Regulation 10.3(ii) of UPERC (Rooftop Solar PV Grid Interactive System Gross/ Net Metering) Regulation, 2019 providing a methodology for determination of the rate at which Solar Injection Compensation is to be paid by the Distribution Licensee. UPPCL further submitted that in the financial year 2022-23 and 2023-24 no competitive bidding for tariff discovery had taken place whereas, the solar tariff has progressively fallen during the recent competitive bidding conducted by SECI and SJVN due to market development and technology advancement. It has thus prayed the Commission to invoke the Regulation 16: Power to relax and Regulation 17: Power to amend Principal Regulation and also allow to consider the weighted average tariff of large-scale solar projects of 5 MW and above, to reflect the latest tariff discovered in central and state government solar power tenders in the last financial year as adopted/approved by the Commission, plus an incentive of 25% or such as may be approved by the Commission. In view of prayer made by Uttar Pradesh Power Corporation Ltd., Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission, now in exercise of its power conferred under section 61, 86 (1) (e) and 181 of Electricity Act, 2003 and clause 17 of the aforesaid Regulation *i.e.* Power to Amend and all other enabling powers hereby makes the following amendments, namely:-

1- Short Title and Commencement:

a. These Regulations shall be called UPERC (Rooftop Solar PV Grid Interactive System Gross/ Net Metering) Regulation, 2019 (Third Amendment) hereinafter referred to as RSPV Regulation, 2019) (Third Amendment).

b. These Regulations shall come into force from the date of their notification in the Official *Gazette* of the State.

2. Amendments :

Regulation No.	Existing Regulation	Amended Regulation
Regulation No. 10.3(ii)	The Distribution License shall reimburse the eligible consumer or the third-party owner as the case may be for the quantum of injected electricity by the rooftop solar PV system during the billing period by way of 'Solar Injection Compensation': Provided that the rate at which the Solar Injection Compensation to be paid by the Distribution Licensee to the eligible consumer or third-party owner as the case may be, shall be the weighted average tariff of Large Scale Solar projects of 5 MW and more, discovered	The Distribution License shall reimburse the eligible consumer or the third-party owner as the case may be for the quantum of injected electricity by the rooftop solar PV system during the billing period by way of 'Solar Injection Compensation': Provided that the rate at which the Solar Injection Compensation to be paid by the Distribution Licensee to the eligible consumer or third-party owner, as the case may be, shall be the weighted average tariff of all Large Scale Solar projects of 5 MW or above, tariff for which has been discovered

	through Competitive Bidding in last Financial Year and adopted by the Commission plus an incentive of 25%. E.g. For FY 2018-19, weighted average tariff of large Solar projects of 5 MW and more discovered through Competitive Bidding in FY 2017-18 and adopted by the Commission plus an incentive of 25% shall be applicable. In case no bidding is done in previous Financial Year, then the last applicable tariff for gross metering shall continue.	through Competitive bidding, either by the licensee or by an Intermediary Agency for the licensee, and which has been approved/adopted by the Commission, as applicable, in the last financial year plus an incentive of 25%. In case no bidding is done in previous Financial Year, then the last applicable tariff for gross metering shall continue.

By the order of the Commission,

SUMEET KUMAR AGARWAL,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 61 राजपत्र–2025–(194)–588 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 5 सा0 ऊर्जा–2025–(195)–600 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।